वकील प्रार्थी ..... उपस्थित।
उपरिक्त आदेश दिनांक 14/8/15
की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 30/8/15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रकरण [illegible] के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत में [illegible] किया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में [illegible]
पर दिनांक ..... पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

30/8/15 वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने पी० एन० अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पी० एन० स्वीकार कर न्यायालय का फैसलादाक स्थाई (Confirm) किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण संलग्न पत्रादि का अवलोकन करने से उक्त हस्तक कोष व खुदियन का सिद्ध होने अवैध क्षति प्रार्थी के पक्ष में गया प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 23/11/13 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को नामंजूर खारिज स्थाई (Confirm) किया जाता है। पत्रावली दैनिक मुकदमा होकर सीधे से फैसले की

[illegible]